- वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन (या संबंधित अनुसंधान एवं विकास) में संलग्न होना चाहिए।
- **अपवाद** : निम्नलिखित में संलग्न कंपनियां **पात्र नहीं हैं** :
  - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी
  - खनन
  - पुस्तकों की छपाई
  - फिल्म निर्माण
  - कोई अन्य अधिसूचित प्रतिबंधित गतिविधियाँ
- **शर्तः** 115BAA के समान, कुल आय की गणना **कटौती, छूट, मूल्यह्रास समायोजन या सेट–ऑफ के बिना की जानी चाहिए।**

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभ**

- **पुरानी या मौजूदा एमएसएमई कंपनियां → कर की दर को 22% (115BAA)** तक कम कर सकती हैं।
- **नई विनिर्माण एमएसएमई कंपनियां → 15% (115BAB)** की अल्ट्रा–लो दर का आनंद ले सकती हैं।
- **विकास, पुनर्निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता** के लिए अधिक लाभ बनाए रखने में मदद करता है।

6 **कर्मचारी नियुक्ति कटौती धारा (80जेजेएए) – रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए,** सरकार एमएसएमई सहित उन नियोक्ताओं के लिए विशेष कटौती प्रदान करती है, जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।

✓ **मुख्य विशेषताएंः**

- **कटौती राशिः अतिरिक्त कर्मचारी लागत का** 30%.
- **अवधि : लगातार 3 मूल्यांकन वर्षों के लिए उपलब्ध।**
- **पात्र संस्थाएंः** एमएसएमई सहित **धारा 44एबी** के अंतर्गत लेखापरीक्षा के अधीन सभी व्यवसाय

✓ **कटौती का दावा करने की शर्तें :**

1. **नये कर्मचारियों कोः**
   - एक वर्ष में **कम से कम 240 दिन** (परिधान, जूते और चमड़ा उद्योग के निर्माण के मामले में 150 दिन) के लिए नियोजित होना चाहिए।
   - **प्रति माह ₹25,000 से कम** वेतन प्राप्त करें।
   - आकस्मिक या संविदा कर्मचारी न हों।
   - अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।
2. **अतिरिक्त कर्मचारी लागत का** अर्थ हैः
   - नये कर्मचारियों को मौजूदा वर्कफोर्स के वेतन के अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाता है।

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभः**

- रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।
- अतिरिक्त कर बचत प्रदान करता है जो अपने कार्यबल का विस्तार करते हैं।
- कपड़ा, चमड़ा, विनिर्माण और सेवा जैसे श्रम–प्रधान उद्योगों के लिए लाभदायक है।

7 **स्टार्ट–अप कर अवकाश धारा (80–आईएसी) – नवाचार और उद्यमिता** को बढ़ावा देने के लिए, पात्र स्टार्ट–अप सीमित अवधि के लिए 100% **कर अवकाश का** दावा कर सकते हैं।

✓ **मुख्य विशेषताएंः**

- **कटौतीः** लाभ एवं प्राप्ति का 100%
- **अवधिः** निगमन से **पहले 10 वर्षों** में से **लगातार 3 वर्षों के लिए।**
- **टर्नओवर सीमाः स्टार्ट–अप का वार्षिक टर्नओवर ₹100 करोड़** से अधिक नहीं होना चाहिए।

✓ **पात्रता की शर्तेंः**

1. **डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)** द्वारा **"पात्र स्टार्ट–अप"** के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

2. भारत में एक **निजी लिमिटेड कंपनी (प्राइवेट लिमिटेड)** या एक **सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के रूप में निगमित।**
3. **1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2021** के बीच निगमित होना आवश्यक।
4. इसका निर्माण किसी मौजूदा व्यवसाय को **विभाजित करके** या उसका **पुनर्निर्माण करके** किया जाना चाहिए।
5. उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के **नवप्रवर्तन (इनोवेशन), विकास या सुधार** में संलग्न होना चाहिए, या **उच्च रोजगार/धन सृजन क्षमता वाला एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल होना चाहिए।**

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभः**

- प्रारंभिक चरण के स्टार्ट–अप को पुनर्निवेश और विस्तार के लिए लाभ बनाए रखने में सहायता करता है।
- सबसे महत्वपूर्ण विकास वर्षों के दौरान कर का बोझ कम करता है।
- प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, तथा उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में नवाचार–संचालित एमएसएमई को बढ़ावा देता है।

8 **त्वरित मूल्यह्रास (धारा 32) – मूल्यह्रास व्यवसायों को परिसंपत्तियों के टूट–फूट** का हिसाब रखकर अपनी कर योग्य आय कम करने की अनुमति देता है। एमएसएमई को कुछ परिसंपत्तियों पर उच्च मूल्यह्रास दरों के माध्यम से अतिरिक्त लाभ मिलता है।

✓ **मुख्य विशेषताएंः**

- **धारा** 32 व्यवसाय के लिए प्रयुक्त **मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों** पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है।
- एमएसएमई विशिष्ट परिसंपत्तियों पर **त्वरित मूल्यह्रास का दावा कर सकते हैं** जैसेः
  - संयंत्र और मशीनरी
  - उपकरण
  - नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण
  - प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
- उच्च दरें एमएसएमई को **परिसंपत्ति लागत को तेजी से बट्टे खाते में डालने की अनुमति देती हैं।**

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभः**

- परिसंपत्ति उपयोग के **प्रारंभिक वर्षों में कर योग्य लाभ को** कम करता है।
- कर देयता को कम करके **नकदी प्रवाह में** सुधार करता है।
- **आधुनिक मशीनरी, प्रौद्योगिकी और हरित परिसंपत्तियों** में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

9 **वैज्ञानिक अनुसंधान (आर एंड डी) कटौती (धारा 35) : नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को** बढ़ावा देने के लिए, आयकर अधिनियम की **धारा 35** के तहत **अनुसंधान एवं विकास व्यय पर कटौती का प्रावधान है। यह उत्पाद विकास, प्रक्रिया सुधार और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करने वाले** एमएसएमई के लिए बेहद लाभकारी है।

✓ **पात्र कटौतियों के प्रकार**

1. **एमएसएमई द्वारा आंतरिक अनुसंधान एवं विकास**
   - निम्नलिखित पर व्यय हेतु कटौतीः
     - अनुसंधान एवं विकास कर्मचारियों / वैज्ञानिकों का वेतन
     - प्रयोगशाला के उपकरण
     - उपभोग्य वस्तुएं और संबंधित लागतें
   - **धारा 35** (1) (i) / (iv) के अंतर्गत कवर किया गया।
2. **अनुमोदित अनुसंधान निकायों में योगदान**
   - निम्नलिखित को किए गए भुगतान के लिए कटौतीः
     - अनुमोदित विश्वविद्यालय

     - अनुसंधान संघ
     - राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ
   - **धारा 35(1)(i) / (iii)** के अंतर्गत कवर किया गया।
3. **इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास के लिए कटौती**
   - **धारा 35(2एबी)** के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां (एमएसएमई सहित) पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय के 100% **की दर से भारित कटौती का दावा कर सकती हैं** (अनुमोदन के अधीन)।

⚠ ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु

- व्यवसाय **प्रारंभ होने से पहले अनुसंधान किया गया हो तो भी** कटौती की अनुमति है ।
- **उचित दस्तावेज** (अनुमोदन, व्यय, अनुसंधान निकायों के साथ समझौते) बनाए रखना होगा ।
- यदि कोई **अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्ति बेची जाती है,** तो **बिक्री मूल्य** व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य हो जाता है।
- यदि **कम कर कॉर्पोरेट व्यवस्था (धारा 115BAA / 115BAB)** का विकल्प चुना जाता है तो धारा 35 के तहत अनुसंधान एवं विकास लाभ उपलब्ध नहीं होंगे ।

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभः**

- **नवाचार–संचालित विकास को** प्रोत्साहित करता है
- **प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचे** में निवेश का समर्थन करते हुए **प्रभावी कर देयता को** कम करता है।
- **घरेलू और वैश्विक बाजारों** में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है।

नोटः इसके अलावा, धारा 115BAC नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरों में ढील प्रदान करती है और इसे वित्त वर्ष 2023–24 से डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति या HUF पुरानी कर व्यवस्था को चुनना चाहता है, तो वह रिटर्न दाखिल करते समय ऐसा कर सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति या HUF की व्यावसायिक आय है, तो उसे ITR दाखिल करने की नियत तिथि से पहले फॉर्म 10–IEA दाखिल करना होगा।

'एमएसएमई कर लाभ एवं प्रोत्साहन मार्गदर्शिका' के भाग 2 में जारी रहेगा...

आयकर विभाग
आयकर निदेशालय
(जन संपर्क, प्रकाशन व प्रचार)
छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001
October, 2025

Income Tax India | @incometaxindia.official | @incometaxindiaofficial
@IncomeTaxIndia | @Income Tax India Official

स्पष्टीकरणः इस विवरणिका को विधिक दस्तावेज न समझा जाए।
अधिक जानकारी के लिए अधिनियम और नियम में संबंधित प्रावधानों से संदर्भ लिया जाए।

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

एमएसएमई कर लाभ और प्रोत्साहन – मार्गदर्शिका

भाग–1

प्रश्न 1: एमएसएमई क्या हैं?

उत्तर– एमएसएमई का अर्थ है **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।** इन व्यवसायों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

- संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में **निवेश, और**
- **वार्षिक कारोबार।**

एमएसएमई का महत्व:

- **रोजगार सृजन** में प्रमुख योगदानकर्ता
- **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि** में महत्वपूर्ण भूमिका
- **निर्यात और औद्योगिक विकास को** बढ़ावा देना
- **समावेशी आर्थिक विकास** की रीढ़, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में।

भारत में, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME)** विभिन्न योजनाओं, प्रोत्साहन–कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से MSME क्षेत्र के **विनियमन, सहयोग और उनके विकास** के लिए उत्तरदायी है।

प्रश्न 2: एमएसएमई का वर्गीकरण क्या है?

उत्तर: एमएसएमई का वर्गीकरण (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)

क्रम सं.	उद्यम का प्रकार	निवेश (संयंत्र और मशीनरी या उपकरण)	वार्षिक कारोबार
1	माइक्रो	2.5 करोड़ तक	10 करोड़ तक
2	छोटा	25 करोड़ तक	100 करोड़ तक
3	मध्यम	125 करोड़ तक	500 करोड़ तक

प्रमुख बिंदु:

- **निवेश** और **टर्नओवर,** दोनों मानदंडों पर विचार किया जाता है।
- किसी उद्यम को किसी श्रेणी के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने के लिए **दोनों मापदंडों (निवेश और कारोबार) की सीमा के भीतर आना आवश्यक।**
- **1 अप्रैल 2025** से सभी उद्यमों के लिए प्रभावी।

प्रश्न 3: एमएसएमई द्वारा कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं?

उत्तर: एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र/उद्योग :

1. विनिर्माण इकाई
2. सेवा क्षेत्र
3. खुदरा व्यापारी (सीमित लाभ)

प्रश्न 4: एमएसएमई कौन हो सकता है?

उत्तर : विनिर्माण या सेवा गतिविधियों में लगी कोई भी व्यावसायिक इकाई भारत में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम) के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकती है, बशर्ते वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करे।

निम्नलिखित प्रकार की संस्थाओं को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

a) स्वामित्व (Proprietorships)
b) साझेदारी फर्म (Partnership Firms)
c) हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
d) निजी लिमिटेड कंपनियां (Pvt Ltd)
e) सीमित देयता भागीदारी (LLP)
f) सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies)
g) ट्रस्ट और सोसायटी (यदि व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हों)
h) स्वयं सहायता समूह (SHG) (यदि व्यवसायिक इकाई के रूप में पंजीकृत और क्रियाशील हों)

मुख्य बिंदु: गैर–कॉर्पोरेट और लघु–स्तरीय संस्थाएं (जैसे– स्वामित्व, एसएचजी और सहकारी समितियां) भी यदि वे पंजीकृत और परिचालन में हैं तो एमएसएमई योजनाओं के तहत लाभ उठा सकती हैं।

प्रश्न 5: एमएसएमई कौन नहीं बन सकता?

उत्तर: निम्नलिखित प्रकार के व्यवसाय एमएसएमई वर्गीकरण के लिए **पात्र नहीं हैं:**

1. केवल व्यापारिक व्यवसाय
- ऐसी संस्थाएं जो बिना किसी **विनिर्माण, सेवा गतिविधि, या केवल लाभ के लिए वस्तुओं की खरीद और बिक्री में शामिल हैं।**

2. निर्धारित सीमा से अधिक
- वे व्यवसाय जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्धारित **निवेश या टर्नओवर मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं।**

3. अपंजीकृत/गैर–परिचालन संस्थाएं
- वे उद्यम जो **उद्यम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं** हैं या **निष्क्रिय/गैर–कार्यात्मक हैं।**

प्रश्न 6: क्या एमएसएमई के लिए पंजीकरण आवश्यक है? इसकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : एमएसएमई अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी एमएसएमई को **उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।**

पंजीकरण प्रक्रिया:

1. आवेदन फार्म
- ऑनलाइन उपलब्ध **उद्यम पंजीकरण फॉर्म** भरें।
- इसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है।

2. आधार आवश्यकता
- उद्यम पंजीकरण के लिए अनिवार्य।
- आधार निम्नलिखित से संबंधित होना चाहिए:
  - **स्वामी** – स्वामित्व के मामले में।
  - **प्रबंध साझेदार** – साझेदारी फर्म के मामले में।
  - **कर्ता** – हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में।

3. अन्य संस्थाओं के लिए अतिरिक्त विवरण
- **कंपनी, एलएलपी, सहकारी समिति, सोसायटी या ट्रस्ट** के लिए, इकाई (या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
  - **जीएसटीआईएन**
  - **पीएएन (PAN)**
  - **आधार संख्या**

4. PAN–आधारित स्व–घोषणा
- यदि उद्यम पैन के साथ पंजीकृत है, लेकिन उसके पास पिछली जानकारी का अभाव है, तो ऐसे विवरण **स्व–घोषणा के आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।**

5. एकल पंजीकरण नियम
- एक उद्यम **केवल एक उद्यम पंजीकरण दर्ज कर सकता है।**
- हालाँकि, एक ही पंजीकरण के अंतर्गत **कई गतिविधियाँ (विनिर्माण और/या सेवा) निर्दिष्ट की जा सकती हैं।**

प्रश्न 7: एमएसएमई के लिए कौन से कर लाभ उपलब्ध हैं?

उत्तर: भारत में एमएसएमई के लिए आयकर लाभ:–

क्र. सं.	लाभ
1	**व्यवसाय के लिए अनुमानित कराधान** (धारा 44एडी) – अनुमानित **कराधान योजना** छोटे व्यवसायों के लिए **कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए** डिजाइन की गई है।

✓ **मुख्य विशेषताएं:**
- **पात्रता: ₹2 करोड़ तक के कारोबार** वाले व्यवसाय (यदि **नकद प्राप्तियां कुल कारोबार का 5% या उससे कम है, तो** ₹3 करोड़)।
- **निर्धारित लाभ दर:**
  - o **8%** (नकद लेनदेन के लिए)।
  - o **6%** (डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन के लिए)।
- **लेखा पुस्तकें:** विस्तृत पुस्तकें बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- **टैक्स ऑडिट:** यदि इस योजना के अंतर्गत आय घोषित की जाती है तो इसकी आवश्यकता नहीं है।

व्यावहारिक लाभ:
यह योजना छोटे व्यवसायों को विस्तृत खाते रखने और टैक्स ऑडिट के बजाय **लाभ का एक निश्चित प्रतिशत घोषित करने की अनुमति देकर अनुपालन बोझ को कम करती है।**

2 **व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान** धारा (44ADA) – **प्रोफेशनल्स के लिए** अनुमानित **कराधान योजना एक निश्चित लाभ घोषणा प्रदान करने के साथ** अनुपालन की समस्या को कम करने में मदद करती है।

✓ **मुख्य विशेषताएं:**
- **पात्रता** : व्यक्तिगत पेशेवर या साझेदारी फर्म (एलएलपी नहीं)।
- लागू व्यवसाय :
  - o वकील
  - o डॉक्टर
  - o आर्किटेक्ट
  - o एकाउंटेंट
  - o आईटी सलाहकार
  - o तकनीकी सलाहकार और अधिसूचित व्यवसाय
- **टर्नओवर सीमा** : **₹50 लाख** तक (यदि **नकद प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का 5% या उससे कम है,** तो ₹75 लाख)।
- **माना गया लाभ: सकल प्राप्तियों का** 50% कर योग्य आय माना जाएगा।
- **लेखा पुस्तकें** : आवश्यक नहीं।
- **टैक्स ऑडिट** : यदि आय योजना के अनुसार घोषित की गई है तो इसकी आवश्यकता नहीं है।

◎ **व्यावहारिक लाभ:**
प्रोफेशनल्स विस्तृत बहीखाता और टैक्स ऑडिट आवश्यकताओं से बचकर **समय और अनुपालन लागत बचाते** हुए सुगमता से टैक्स फाइल कर सकते हैं।

3 **लघु परिवहन एमएसएमई के लिए अनुमानित कराधान** (धारा 44एई) – यह योजना **छोटे परिवहन ऑपरेटरों** (एमएसएमई) के लिए है जो **माल गाड़ियों को चलाने, किराए पर लेने या पट्टे पर देने में लगे हुए हैं ।**

✓ **मुख्य विशेषताएं:**
- **पात्रता** : वह करदाता जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय **10 से अधिक माल वाहन न हों** ।
- **आय घोषणा** : वास्तविक लाभ के बजाय निश्चित अनुमानित आय:
  - o **भारी माल वाहन** : प्रति टन सकल वाहन भार पर ₹1,000, प्रति माह (या माह के भाग पर)।
  - o **अन्य वाहन** : प्रति वाहन ₹7,500 प्रति माह (या महीने का कुछ भाग)।
- **लेखा पुस्तकें** : आवश्यक नहीं (धारा 44एए लागू नहीं)।
- **टैक्स ऑडिट** : धारा 44एबी के तहत आवश्यक नहीं है (जब तक कि घोषित आय < मानी गई आय न हो)।
- **ऋण पात्रता** : 44एई के तहत घोषित आय को **बैंकों/एनबीएफसी द्वारा** एमएसएमई ऋण आवेदनों के लिए वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

व्यावहारिक लाभ:
- छोटे परिवहन व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाता है।
- मान्यता प्राप्त आय प्रमाण प्रदान करके **ऋण तक** आसान पहुंच सुनिश्चित करता है।

4 **ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं (धारा 44AB)–** धारा 44AB के तहत, कुछ व्यवसायों और पेशेवरों का टर्नओवर/प्राप्तियाँ यदि निर्धारित सीमा से अधिक है, ऐसे में उन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है। हालाँकि, MSMEs को इसमें **छूट प्राप्त है।**

✓ **मुख्य विशेषताएं:**

1. टर्नओवर / प्राप्ति सीमाएँ :
- o **व्यवसाय:** यदि टर्नओवर **₹1 करोड़ से अधिक है तो ऑडिट आवश्यक है।**
- o **बढ़ी हुई सीमा** : ₹10 करोड़ यदि **नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान** कुल का **5%** से कम हो।
- o **प्रोफेशनल्स** : यदि सकल प्राप्तियां **50 लाख रुपये से अधिक हैं तो ऑडिट आवश्यक है।**

2. एमएसएमई के लिए छूट :
- o **अनुमानित कराधान योजनाओं** का विकल्प चुनने पर कोई ऑडिट नहीं होगा :
  - **धारा 44AD** (व्यवसाय)
  - **धारा 44ADA** (पेशेवर)
  - **धारा 44AE** (परिवहन एमएसएमई)

3. उद्देश्य :
- o अनुपालन बोझ कम करना।
- o **डिजिटल लेनदेन** को प्रोत्साहित करना (एमएसएमई को उच्च ऑडिट सीमा प्रदान करना)।

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभ :**
- यदि टर्नओवर सीमा के भीतर है और प्रकल्पित योजना चुनी गई है → **कोई ऑडिट आवश्यक नहीं है।**
- करोड़ रुपये तक का कारोबार कर सकते हैं, जिससे अनुपालन दबाव कम हो जाएगा।

5 **एमएसएमई कंपनियों के लिए कम कॉर्पोरेट टैक्स (धारा 115BAA/BAB)**

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और कंपनियों पर कर का बोझ कम करने के लिए, सरकार ने **कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम,** 2019 के माध्यम से **धारा 115BAA और धारा 115BAB प्रस्तुत की।** ये प्रावधान विशेष रूप से **कंपनियों के रूप में निगमित MSMEs** के लिए उपयोगी हैं।

✓ **धारा 115BAA– घरेलू कंपनियों के लिए कम कर**
- **कर की दर** : 22% (अधिभार एवं उपकर सहित ≈25.17%).
- **पात्रता:** कोई भी **घरेलू कंपनी** (एमएसएमई सहित, चाहे पुरानी हो या नई)।
- **शर्त : कुल आय की गणना कटौती, मूल्यह्रास, छूट या सेट–ऑफ** पर विचार किए बिना की जानी चाहिए।
- **लचीलापन** : कम्पनियों द्वारा **किसी भी समय इसका विकल्प चुना जा सकता है** (एक बार चुनने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता)

✓ **धारा 115BAB – नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कम कर**
- **कर की दर** : 15% (अधिभार एवं उपकर सहित ≈17.16%)।
- **पात्रता** :
  - o 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद निगमित एक **नई घरेलू कंपनी** होनी चाहिए ।